



विकसित भारत
अभियान
1947 TO 2047

कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/39/OTH/37/2025-ADMN

कार्यालय आदेश सं. : 02/2026
दिनांक: ई-हस्ताक्षरित

इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 22/2025 दिनांक 06.11.2025, जिसके अंतर्गत श्री मुकेश कटारिया, अपर आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जोधपुर को उनके नियमित कार्यभार के अतिरिक्त सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर/ जोधपुर।
2. अपर महानिदेशक (एचआरएम-II), मानव संसाधन विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली।
3. अवर सचिव (Ad.II), केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली।
4. श्री मुकेश कटारिया, अपर आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जोधपुर।
5. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर – 302005 (राजस्थान)

फोन : 0141-2385155; फैक्स : 0141-2385130, ईमेल : ccl-cexjpr@nic.in,
 वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्वीटर : @CGSTJAIPURZONE